राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 889/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शिवचरण अवस्थी वार्ड न. 4, बाल विधा मंदिर खेरली, अलवर, अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एल.आर. मीणा, अनुभागाधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 2-6-17 मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत कर प्रधान मंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 13-5-17 जिसमें कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 4-5-17 को अग्रेषित किया गया था, पर की गई कार्यवाही आदि के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि आवेदन में वर्णित अभ्यावेदन दिनांक 4-5-17 मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यालय ई-ऑफिस रिकार्ड के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया अपितु अपीलार्थी का समविषयक पत्र दिनांक 1-5-17 उनके कार्यालय के डायरी क्रमांक 1511622/सी.एस./17 दिनांक 8-5-17 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को मूल ही यथोचित कार्यवाही हेतु भिजवा दिया गया था एवं प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 13-5-17 का संबंध जन अभियोग निराकरण विभाग से है। तदानुसार अपीलार्थी का सूचना का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग के अ.शा. पत्र दिनांक 12-6-17 के द्वारा लोक प्राधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था एवं प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 13-5-17 जो कि प्रत्यर्थी कार्यालय में दिनांक 3-7-17 को प्राप्त हुआ, को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को मूल ही पत्र दिनांक 6-7-17 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया था एवं प्रकरण का संबंध महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज से होने के कारण उन्हें ही पक्षकार बनाया जावे जिससे कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। यह भी कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग से अन्तरित सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 14-6-17 से महानिदेशक, पुलिस को भेजा गया था जिन्होंने पत्र दिनांक 20-6-17 से यह आवेदन महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज जयपुर को सूचना देने हेतु प्रेषित किया था।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है। प्रस्तुत संलग्नक से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज, जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(ए) (ii) अन्तर्गत राज्य लोक सूचना

अधिकारी पदाभिहित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के क्रम में अभिलेखानुसार अपना विनिश्चय/सूचना आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर पंजीकृत डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

7. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त